न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/245

श्रीमती संतोष बाई पत्नी जोरासिंह पुत्री भंवर लाल जाति भील निवासी उदपुरा मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. घांसी आत्मज किशनलाल जाति भील निवासी उदपुरा मोडक स्टेशन, कोटा ।
2. उप पंजीयक रामगंजमण्डी, कोटा ।
3. तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहन मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय **दिनांकः 14.03.2018**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम मोडक स्टेशन उप तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी नये खसरा नम्बर 401 की रकबा 2.31 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि दौराने वाद वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण कहीं रहन, बेचान नहीं व प्रार्थी के कब्जे काश्त में विध्न, बाधा व हस्तक्षेप पैदा नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंशतः स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने का निर्णय पारित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खतोदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा होती है इस प्राकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है विधिक प्रावधानों के अनुसार भी धारा 188 का वाद खातेदार द्वारा ही लाया जा सकता है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर उसका कब्जा है इसलिए धारा 8 राजस्थान काश्तकारी अधिकार का वाद भी मेन्टेनेबल नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा भी होती है । रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

8. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा होती है और रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा